

डिकी मुकदमा इब्तदाई  
(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली

इजलास

पीठासीन अधिकारी :-

हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण संख्या:-31/18

जीसीएमएस नं. 2018/00091

दायर दिनांक:-01.06.2018

1. चेताराम पुत्र फैली जाति माली निवासी बन्दवाडा (मुकन्दपुरा) तहसील हिण्डौन जिला करौली (मृतक)

1/1 मदन

1/2 राजाराम

1/3 ओमप्रकाश

1/4 जगमोहन

पिसरान चेताराम निवासी बन्दवाडा (मुकन्दपुरा) तहसील हिण्डौन जिला करौली

1/5 मोहनदई पत्नि धर्म सिंह पुत्री चेताराम जाति माली निवासी पीपरीपुरा

1/6 संतरा पत्नि सरवन पुत्री चेताराम जाति माली निवासी पीपरीपुरा

1/7 पुष्पा पत्नि द्वारका पुत्री चेताराम जाति माली निवासी सिधनियां

1/8 चिरोंजा पत्नि मुकेश पुत्री चेताराम जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर।

अप्रार्थी/वादी

बनाम

1. पूरन,

2. मोहरसिंह,

3. रामधन,

4. रतनलाल

5. धनसिंह

6. मेहरपाल

7. तहसीलदार तहसील हिण्डौन।

पिसरान भम्बल जाति माली आदि निवासी बन्दवाडा (मुकन्दपुरा) तहसील हिण्डौन जिला करौली

पिसरान चम्पालाल जाति माली निवासी बन्दवाडा (मुकन्दपुरा) तहसील हिण्डौन जिला करौली

अप्रार्थी/प्रतिवादी

दावा बावत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं दखलयाबी खसरा नं0 638 ग्राम मुकन्दपुरा तहसील हिण्डौन में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

मुकदमा नं0 31/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री मुरारी लाल करसोलिया एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरु श्री पुरुषोत्तम गोयल एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि दावा संख्या 31/18 उनवानी चेताराम बनाम पूरन को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है एवं इससे संबंधित प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा से जारी दिनांक 01.06.2018 को भी निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना अपना खर्चा वहन करेंगे।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.04.2024..को डिकी जारी की गई।

(हेमराज गूर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिला करौली